

# कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास, रायगढ़ (छ.ग.)

कलेक्टोरेट परिसर पोस्ट चक्रधर नगर रायगढ़ छत्तीसगढ़-496001

फोन/फैक्स 07762-220310 Email-raigarhdmf@gmail.com

//प्रेस विज्ञप्ति//

क्रमांक / 82 / डी.एम.एफ. / 2023 / रायगढ़

दिनांक 16 / 06 / 2023

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भवन, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक 7-34/2016/XII/(क) नया रायपुर, दिनांक 23.03.2021 में दिये गए पद संरचना की स्वीकृति अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, 2015 के नियम 26 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास हेतु स्वीकृत पदों के लिए अधोवर्णित पद के लिए अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज न्यास शाखा, कक्ष क्रं. 111) रायगढ़ में दिनांक 15 / 07 / 2023 संध्या 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से स्वीकार किया जायेगा। विलंब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। विस्तृत विवरण जिले की वेबसाइट <http://raigarh.gov.in> में तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज न्यास शाखा) रायगढ़ के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता है।

क्रं.	पद का नाम एवं आरक्षण	पद का प्रकार	रिक्त पद संख्या	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक योग्यता
1	लेखापाल (अनारक्षित / मुक्त)	प्रतिनियुक्ति / संविदा	01	21 वर्ष	62 वर्ष	<p>शासन के विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति से लिया जावेगा। प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध नहीं होने पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-1 (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) को संविदा पर लिया जा सकेगा। पांच वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।</p> <p>1. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बी.कॉम. न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण।</p> <p>2. उपलब्ध नहीं होने पर सेवानिवृत्त लेखापाल एवं (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-1 जो कि संविदा से लिया जा सकेगा।</p> <p>3. मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए उत्तीर्ण एवं Tally Software का पर्याप्त ज्ञान।</p> <p>05 वर्ष का लेखा सेवा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य।</p> <p><b>वेतनमान- रुपये 18420/- एकमुश्त मासिक</b></p>
2	सहायक ग्रेड-03 (अनारक्षित / मुक्त)	संविदा	01	21 वर्ष	40 वर्ष	<p>1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण।</p> <p>2. मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)</p> <p><b>वेतनमान- रुपये 14200/- एकमुश्त प्रतिमाह</b></p>

## पद क्रमांक 01 (लेखापाल)

**दायित्व:** जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा संचालित परियोजनाओं में होने वाले व्यय का लेखा परीक्षण/ऑडिट/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार करना एवं छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास 2015 नियम 25 में दिए गए कार्यों का सम्पादन करना।

**चयन प्रक्रिया:** प्रतिनियुक्ति/संविदा पर। कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद द्वारा अनुमोदित।

## पद क्रमांक 02 (सहायक ग्रेड-3)

**दायित्व:** जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा संचालित परियोजनाओं से संबंधित नस्तियों का संधारण, सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार नियमों का परीक्षण कर अनुमोदन हेतु नस्ती का अग्रेषण। डीएमएफ वेबसाइट का संधारण एवं अद्यतन किए जाने का दायित्व होगा एवं समक्ष अधिकारी द्वारा सौंपे गए दायित्व का निर्वहन।

**चयन प्रक्रिया:** संविदा पर। कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद द्वारा अनुमोदित।

## आवेदन करने हेतु अनुदेश:-

1. आवेदन पत्र बंद लिफाफे में कार्यालय कलेक्टर (खनिज न्यास शाखा, कक्ष क्रं. 111) रायगढ़ के कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक तक कार्यालयीन समय में सायं 5.30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदन पत्र में स्वप्रमाणित दस्तावेज एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य है।
3. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
4. संविदा नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन एफ-9-1/2012/1-3 रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
5. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
6. लिफाफे के उपर आवेदक का नाम एवं पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना अनिवार्य है।
7. आवेदन पत्र के साथ 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ दो लिफाफा जिसमें आवेदक के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता स्पष्ट रूप से हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
8. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जावे। आवेदन क साथ समस्त प्रमाण पत्र/अंकसूची स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है।

## नियम एवं शर्त:-

01. अभ्यर्थी की आयु की गणना दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ में की जायेगी।
02. निर्धारित आयु सीमा ( 18 से 35 वर्ष ) 01.01.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को शासन द्वारा समय-समय प्रसारित नयमों/निर्देशों के तहत निर्धारित आयु सीमा नियमानुसार छूट दी जायेगी।

03. संविदा नियुक्ति शासन द्वारा जारी छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
04. संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। शासन के आदेशानुसार एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
05. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश एवं शासन द्वारा समय-समय पर चयन के संबंध में दिशा निर्देश एवं मापदंडों का पालन किया जायेगा।
06. परिस्थितिवश एवं आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा विज्ञप्ति पूर्ण भाग/आंशिक भाग निरस्त की जा सकती है।
07. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व की सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
08. सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन, भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
09. अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. जन्मतिथि के प्रमाण हेतु हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाये, ब्लैक लिस्टेड अथवा सक्षमतापूर्वक नहीं करने के कारण सेवावृद्धि नहीं किए गए अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होंगे।
12. उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

**रायगढ़**  
**समाचार**

Taran  
कलेक्टर सह पदेन अध्यक्ष  
रायगढ़ जिला खनिज संस्थान  
न्यास प्रबंधकारिणी समिति

पृ.क्रमांक 83 / डी.एम.एफ./2023-24  
प्रतिलिपि :-

रायगढ़ दिनांक 16/06/2023

01. व्यवस्थापक, छ.ग. जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव, छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर विज्ञापन की प्रति संलग्न प्रेषित। जिले की वेबसाइट [www.raigarh.gov.in](http://www.raigarh.gov.in) में अपलोड सुनिश्चित करें।
04. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर विज्ञप्ति को प्रादेशिक एवं स्थानीय समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

Taran  
16/06/23

Taran  
कलेक्टर सह पदेन अध्यक्ष  
रायगढ़ जिला खनिज संस्थान  
न्यास प्रबंधकारिणी समिति